न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ट्रैक कोर्ट रीवा जिला रीवा ﴾म०प्र०﴿

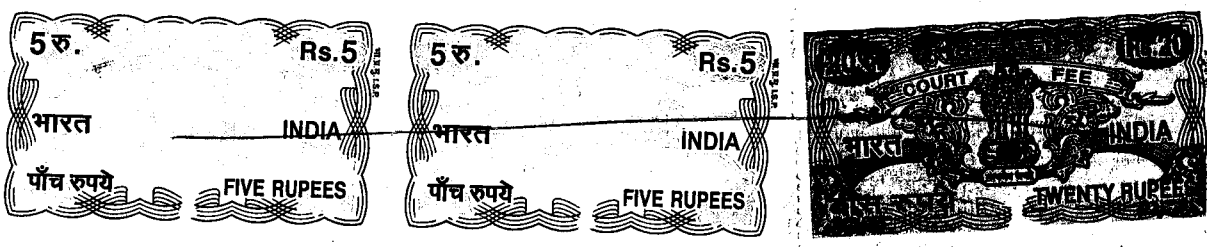

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES

Rs 30/-

R.S 130-II/17

कामता तनय गजाधर चमार उम्र लगभग 58 बर्ष निवासी सा0 सगरा खुर्द थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ - - - - - आवेदक

बनाम

सुखपति तनय भागीरथी चमार उम्र लगभग 56 बर्ष निवासी सा0 सगरा खुर्द थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ - - - - - अनावेदक

आवेदक कामता चमार द्वारा पेश किया गया 24.3.17

24-3-17
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण बास्ते निरस्त किए जाने नक्शा तरमीम दिनांक 20-7-012 आदेश राजस्व निरीक्षक हनुमना अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0 1959 ई0।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यबर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं :--

1- यह कि ग्राम सगरा खुर्द 940 हल्का सगरा रा0नि0 मण्डल हनुमना तहसील हनुमना में स्थित भूमि ख0नं0 131/7 रकबा 0.027 हे0 के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता कामता तनय गजाधर चमार नि0ग्राम सगरा खुर्द के स्वत्व आधिपत्य की भूमि है, जो निगरानी कर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति है। तथा उक्त भूमि में निगरानीकर्ता क्रय करने के वाद इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार काबिज दखील है, ।

2- यह कि निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था उक्त रजिष्ट्री में अंकित चौहद्दी नक्शा अनुसार तहसील-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5130–दो/17. जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुद्रिका विश्वकर्मा उपस्थित होकर नक्शा तरमीम दिनांक 20.7.12 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक हनुमना चिला रीवा के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन, शपथपत्र एंवं निगरानी में पक्षकार बनाये जाने का आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी का भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 4 वर्ष 10 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधनकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। सदस्य	